



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 34866 वर्ष 2025

राहुल कुमार

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

ओम प्रकाश सिंह, संजय कुमार यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार यादव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की स्वीय बंधपत्र और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक राहुल कुमार की ओर से दायर की गई है, जिसमें वाद संख्या 457/2025, धारा 8/20, मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस स्टेशन- मुगलसराय, जिला- चंदौली के अंतर्गत मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 32 किलो 970 ग्राम गांजा आवेदक और सह-अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से बरामद होने का आरोप है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने और उसे पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फँसाया गया है। आवेदक, जो 14.09.2025 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की छूट का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि से मिलने वाली सजा की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक का चरित्र, अभियुक्त से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनहित/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपर्युक्त अपराध मामले में शामिल आवेदक **राहुल कुमार** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक स्वीय बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक अन्वेषण या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा। जमानत स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

16 जनवरी, 2026

मिनी

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।